किया गया। पत्रावली एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। जिससे प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के हक में प्रतीत होता है। विवादित आराजी प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 की संयुक्त खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजी है, जिनका विधिक विभाजन नही हुआ है किन्तु अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 उक्त आराजी के विशिष्ठ भू–भाग/खसरा नम्बर को अन्यत्र रहन, बेचान, मुंतकिल अथवा अन्यथा हस्तान्तरण करने व निर्माण करने पर सख्त आमादा है। यदि वे ऐसा करने मे सफल हो गये तो प्रार्थीगण को अपूर्तनीय क्षति कारित होना संभावित है। अतः उभयपक्षकारान को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञासेआगामी पेशी दिनांक 12.03.2026 तक पाबन्द किया जाता है कि प्रार्थना पत्र में वर्णित ग्राम पदमपुरा, पटवार हल्का चाचियावास, तहसील अजमेर स्थित वादग्रस्त आराजियात के राजस्व रिकॉर्ड व मौके की यथास्थिति बनायी रखी जावे। यह अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश राजकार्य एवं रास्ते के विवाद के सम्बन्ध में लागू नहीं होगा। अप्रार्थीगण के नाम नोटिस जारी होकर पत्रावली दिनांक 12.03.2026 को पेश हो।

सहायक कलेक्टर (मु0)
अजमेर

आज दिनांक 12/3/26 को जिला [illegible]
बार एसोसिएशन ने आज कार्य स्थगि[illegible]
पत्रावली पू[illegible] कार्यवाही की पालना [illegible] 30/3/26
को [illegible]।

आदे[illegible]

न्यायालय पेशका[illegible]
सहायक कलक्[illegible]

दिनांक 30/3/26 पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष, आज समय चाहते है। मिसल दिनांक 4/5/26 को वास्ते तलब पेश हो।

सहायक कलक्टर (मु.), अजमेर

4/5/26

उभयपक्ष की ओर से केवल पैरोकार उपस्थित। प्रार्थी एवं उनके अधिवक्ता को सब-[illegible] बार-बार आवाजें लगवाई गई बावजूद वह आवाजों के ना तो प्रार्थी एवं ना ही उनके अधिवक्ता [illegible] [illegible]। प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली [illegible] अनुसार होकर नंबर से कम हो एवं दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर (मु.), अजमेर